



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 1676 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1676

विषय / Sub : जगुअर वायुयान हेतु एक्सिलेरोमीटर, पार्ट सं. 1665 00 000

ACCELEROMETER, Part No.: 1665 00 000 for Jaguar Aircraft

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ –226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित "एक्सिलेरोमीटर" पार्ट सं.: 166 500 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1676, दिनांक 20 सितंबर 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1676 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "Accelerometer" bearing the Part No.: 1665 00 000, designed and developed by Aerospace Systems & Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow – 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.:1676 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1676, dated: 20th September 2011 with validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितंबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st August 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1676, दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1676, dated: 20th September 2011 is amended as stated herewith.


“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1676/1R
दिनांक / Date : **23** February 2017
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856




(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)